न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 482/2025

श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री प्रहलाद कुमावत, निवासी ग्राम बडाउ, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0)

––प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

––अप्रार्थी

––

आवेदन पत्र बाबत राज0 उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय की पालना बाबत।

––

उपस्थितः–

1. श्री मनोज वर्मा, एडवोकेट– प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्रीमती अनामिका, प्रर्वतन निरीक्षक, विभागीय प्रतिनिधि– अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

<u>आदेश</u>

दिनांक 03.12.2025

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रसद कार्यालय, झुंझुनूं द्वारा ग्राम रामनगर मे नवसृजित दुकानों के आंवटन के लिए विज्ञापन जारी किया गया था जो कि खाद्य विभाग की नीतियों की अनदेखी कर जारी किया गया है। जिसके संबंध मे निम्न प्रकार बिन्दुवार निवेदन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 19.08.2025 मे दिये गये निर्देशों की पालना मे आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थिया ग्राम बडाउ, तहसील खेतडी की निवासी है। रसद कार्यालय, झुंझुनूं के द्वारा ग्राम बडाउ मे दो नई दुकानों का सृर्जन करने के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। इसके अलावा राजस्व ग्राम रामनगर मे एक दुकान सृजित होने के लिए भी विज्ञापन जारी हुआ था जिसके विरूद्व मे प्रार्थिया ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर मे रिट पिटीशन दायर की थी जिसमे दिनांक 19.08.2025 को आदेश जारी किया गया था जिस पर उक्त प्रकरण श्रीमान् के समक्ष आया है अर्थात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर का स्थगन आदेश राजस्व ग्राम रामनगर मे एक दुकान सृजित होने पर है। ग्राम बडाउ मे वर्तमान मे दो राशन की दुकान है जिनमे 1700 से अधिक राशन कार्ड है तथा सदस्यों की संख्या 8500 से अधिक है इसलिए वहां पर दो दुकानों को सृजित किया जाना उचित है क्योंकि नियमानुसार एक राशन की दुकान पर 500 से अधिक राशन कार्ड नही होने चाहिए तथा सदस्यों की संख्या भी 2000 से अधिक नही होनी चाहिए। इसलिए ग्राम बडाउ मे दो नई दुकानों का संचालन किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। इसके अलावा ग्राम रामनगर मे जो एक दुकान के संचालन के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है उसका कोई औचित्य नही है क्योंकि ग्राम रामनगर के मात्र 150 राशन कार्ड है व 30–40 बोरी राशन का गेहूं ही आता है तथा सदस्यों क संख्या भी करीब 500–550 ही है। इसके अलावा ग्राम रामनगर मे कोई मार्केट भी नही है तथा ग्राम रामनगर ग्राम बडाउ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ग्राम रामनगर के राशन कार्डधारक प्रार्थिया की दुकान से ही राशन लेते आ रहे है जिन्हे राशन लेने मे कोई परेशानी भी नही हो रही है। राजनैतिक अनुशंषा के आधार पर ग्राम रामनगर मे नई दुकान सृजित करने का विज्ञापन जारी किया गया है जिसको ग्राम रामनगर मे खोले जाने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

सेवामे पेश कर निवेदन है कि ग्राम बडाउ मे दो नई राशन दुकान सृजित किये जाने की विज्ञप्ति को यथावत रखा जावे तथा ग्राम रामनगर मे राशन दुकान खोले जाने की विज्ञप्ति को निरस्त किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण मे जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं ने पत्रांक अभियोग/रसद/2025/1221 दिनांक 11.11.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि सी0बी0 सिविल रिट पीटिशन संख्या 11175/2025 सुशीला देवी बनाम राजस्थान सरकार की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार सादर प्रेषित है कि श्रीमान् उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपर्ति विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ 17( )खा0वि0/न्याय/2025 दिनांक 12.03.2025 के द्वारा माननीय विधायकगणों एवं प्रत्याशीगणों द्वारा अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्र के स्थान चिन्हित कर नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाकर नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने की कार्यवाही आरम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त पत्र की पालना मे राजस्व ग्राम रामनगर, ग्राम पंचायत बडाउ मे नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने हेतु प्रस्ताव दिया गया। ग्राम पंचायत बडाउ मे 2 उचित मूल्य दुकान पोस कोड 12058 तथा 11953 संचालित है। उक्त दुकानों पर राशन कार्डो की संख्या क्रमशः 807 व 866 कुल 1677 यूनिट्स है। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 17(9) खा0वि0/विधि/2012 दिनांक 26.12.2019 व एफ 17(1) खा0वि0/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 के अनुशरण मे 500 राशनकार्ड/2000 यूनिट पर अतिरिक्त दुकान के प्रावधान जारी है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 19.08.2025 मे दिये गये निर्देशों की पालना मे आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थिया ग्राम बडाउ, तहसील खेतडी की निवासी है। रसद कार्यालय, झुंझुनूं के द्वारा ग्राम बडाउ मे दो नई दुकानों का सृर्जन करने के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। इसके अलावा राजस्व ग्राम रामनगर मे एक दुकान सृजित होने के लिए भी विज्ञापन जारी हुआ था जिसके विरूद्व मे प्रार्थिया ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर मे रिट पिटीशन दायर की थी जिसमे दिनांक 19.08.2025 को आदेश जारी किया गया था जिस पर उक्त प्रकरण श्रीमान् के समक्ष आया है अर्थात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर का स्थगन आदेश राजस्व ग्राम रामनगर मे एक दुकान सृजित होने पर है। ग्राम बडाउ मे वर्तमान मे दो राशन की दुकान है जिनमे 1700 से अधिक राशन कार्ड है तथा सदस्यों की संख्या 8500 से अधिक है इसलिए वहां पर दो दुकानों को सृजित किया जाना उचित है क्योंकि नियमानुसार एक राशन की दुकान पर 500 से अधिक राशन कार्ड नही होने चाहिए तथा सदस्यों की संख्या भी 2000 से अधिक नही होनी चाहिए। इसलिए ग्राम बडाउ मे दो नई दुकानों का संचालन किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। इसके अलावा ग्राम रामनगर मे जो एक दुकान के संचालन के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है उसका कोई औचित्य नही है क्योंकि ग्राम रामनगर के मात्र 150 राशन कार्ड है व 30–40 बोरी राशन का गेहूं ही आता है तथा सदस्यों क संख्या भी करीब 500–550 ही है। इसके अलावा ग्राम रामनगर मे कोई मार्केट भी नही है तथा ग्राम रामनगर ग्राम बडाउ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ग्राम रामनगर के राशन कार्डधारक प्रार्थिया की दुकान से ही राशन लेते आ रहे है जिन्हे राशन लेने मे कोई परेशानी भी नही हो रही है। राजनैतिक अनुशंषा के आधार पर ग्राम रामनगर मे नई दुकान सृजित करने का विज्ञापन जारी किया गया है जिसको ग्राम रामनगर मे खोले जाने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम बडाउ मे दो नई राशन दुकान सृजित किये जाने की विज्ञप्ति को यथावत रखा जावे तथा ग्राम रामनगर मे राशन दुकान खोले जाने की विज्ञप्ति को निरस्त किये जाने की कृपा करें।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। तथ्यात्मक रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ग्राम पंचायत बडाउ मे 2 उचित मूल्य दुकान पोस कोड 12058 तथा 11953 संचालित है। उक्त दुकानों पर राशन कार्डो की संख्या क्रमशः 807 व 866 कुल 1677 यूनिट्स है। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 17(9)खा0वि0/विधि /2012 दिनांक 26.12.2019 व 17(1)खा0वि0/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 के अनुशरण मे 500 राशन कार्ड/2000 यूनिट पर अतिरिक्त दुकान के प्रावधान जारी है। दूसरी ओर ग्राम रामनगर मे राशन कार्डो की संख्या मात्र 150 है। रामनगर की दुकान पर राशन कार्ड की संख्या निर्धारित संख्या से भी कम है। ग्राम बडाउ मे राशन कार्डो की संख्या क्रमशः 807 व 866 कुल 1677 यूनिट्स है। प्रकरण मे ग्राम रामनगर मे नियमानुसार अतिरिक्त राशन की दुकान सृजित किया जाना उचित नही है एवं ग्राम बडाउ मे 2 राशन दुकान सृजित किया जाना उचित है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बडाउ मे 2 नई राशन की दुकान सृजित किये जाने की विज्ञप्ति को यथावत् दखे जाने एवं ग्राम रामनगर मे राशन की दुकान खोले जाने की विज्ञप्ति निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 03.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं